# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट  सं0-36
दिनांक- 05.01.2025

## जोन-दक्षिणी/ थाना-कृष्णानगर

- **थाना कृष्णानगर पुलिस व सर्विलांस सेल, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त टीम पुलिस टीम की सफलता।**
- **बन्द दुकानों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले गैंग का किया गया पर्दाफाश।**
- **03 शातिर चोर/अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**
- **चोरी गयी सम्पत्ति ज्वैलरी/नगदी व एक अदद घटना में प्रयुक्त मो0सा0 अपाचे बरामद।**

**01-कार्यवाही:-**

पुलिस आयुक्त लखनऊ के द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में **श्री निपुण अग्रवाल,** पुलिस उपायुक्त दक्षिणी लखनऊ, **श्री अमित कुमावत** अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के अनुपालन में **सौम्या पाण्डेय,** सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर लखनऊ के निर्देशन में **प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह** के नेतृत्व में गठित थाना कृष्णानगर पुलिस टीम व सर्विलांस टीम, दक्षिणी जोन की सक्रिय कार्यवाही के फलस्वरुप ज्वैलर्स की दुकान का शटर तोडकर चोरी करने वाले तीन अपराधी-

**01.निलोफर उर्फ गिट्टा (गैंग लीडर)** पुत्री मुन्ना खान निवासी 461 एवर रेड्डी चौराहा निकट हमीदी मस्जिद एफसीआई गोदाम के पास दरियापुर थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ,

**02.अमन** पुत्र सिराजुद्दीन निवासी म0नं0-834 काजीपुरा मोहल्ला निकट वसीरगंज पुलिस चौकी थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच, हाल पता काशीराम कालोनी थाना पारा जनपद लखनऊ।

**03**.सिराजुद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन निवासी म0नं0-834 काजीपुरा मोहल्ला निकट वसीरगंज पुलिस चौकी थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच, हाल पता काशीराम कालोनी थाना पारा जनपद लखनऊ को गंगाखेडा अण्टर पास के नीचे से गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी है।

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-613/2024 धारा 331/305 भा0न्या0सं0 व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस के अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**02-संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक 31.12.2024 को वादी श्री रामेन्द्र यादव निवासी अलीनगर थाना कृष्णानगर लखनऊ के लिखित शिकायती प्रा0पत्र पर मु0अ0सं0-613/2024 धारा 331/305 भा0न्या0सं0 बनाम अज्ञात चोर, बावत अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 30.12.2024 की देर रात्रि में वादी मुकदमा की दुकान पुष्पांजली ज्वेलर्स का शटर तोड़ कर ज्वैलरी चोरी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया।

मुकदमा उपरोक्त में अनावरण हेतु चार टीमें गठित की गयी। जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज अवलोकन,सीडीआर अवलोकन, ग्राउण्ड सूचना की सहायता से घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तगण की गिरफ्तारी कर चोरी गयी सम्पत्ति की बरामदगी की गयी।

अभियुक्ता निलोफर उर्फ गिट्टा द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं अपने गैंग की लीडर हूँ , मैं अपने साथियों (अमन, डामर उर्फ समीर उर्फ भाटिया व अर्सी ) के साथ मिलकर दिनांक 30/31.12.2024 की रात्रि में अलीनगर सुनहरा स्थित पुष्पांजली ज्वेलर्स दुकान का शटर तोडकर ज्वैलरी की चोरी कर भाग गये थे । अभियुक्तगण उपरोक्त चोरी की घटनाएं करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। जिनके विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

मुकदमा उपरोक्त में गठित टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 05.01.2025 को, प्रकाश में आये अभियुक्त **1.**निलोफर उर्फ गिट्टा (गैंग लीडर) पुत्री मुन्ना खान **2.**अमन पुत्र सिराजुद्दीन **3.** सिराजुद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन को गंगाखेडा अण्टर पास के नीचे से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा चोरी का माल चोरी करने के बाद वापस सदरौना स्थित काशीराम कॉलोनी में नीलोफर के घर ले जाकर आपस में बांट लिया गया था जिसमें से कुछ माल फरार अभियुक्तों के पास है, शेष माल बरामद कर लिया गया है।

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल न0. UP40BF9068 काले रंग की अपाचे भी बरामद है।

**03-मॉडस ऑपरेंडीः-**

यह सभी अभ्यस्त चोरों का गिरोह है, जो दुकानों में देर रात चोरी करते हैं। सामान्य तौर पर ऐसे दुकान जिसमें शटर ढीला होता है जिसे उठाकर थोड़ी सी जगह बन जाती है उसमें से घुसकर फिर अंदर के दरवाजे तोड़कर चोरी को अंजाम दिया जाता है।

चोरी के माल को घटना के बाद आपस में बांट लेते हैं और अलग-अलग जगह पर सुनार की दुकान में बेच देते हैं। इनका कोई मूल पता नहीं है काशीराम कॉलोनी या बस्तियों में किराए पर रहते हैं जिस कारण से इन्हें ट्रेस कर पाना भी मुश्किल होता है।

**04-घटना के अनावरण का तरीकाः-**

घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बाइक ट्रेस हो गई थी, फिर लोकल इंटेलिजेंस की मदद से सीसीटीवी में दिख रहे व्यक्तियों की पहचान की गई और सर्विलांस की सहायता से इन्हें गिरफ्तार किया गया है।

**05-अभियुक्तों का विवरण/नाम पता-**

1. निलोफर उर्फ गिट्टा (गैंग लीडर) पुत्री मुन्ना खान निवासी 461 एवर रेड्डी चौराहा निकट हमीदी मस्जिद एफसीआई गोदाम के पास दरियापुर थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ।
2. अमन पुत्र सिराजुद्दीन निवासी म0नं0-834 काजीपुरा मोहल्ला निकट वसीरगंज पुलिस चौकी थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच, हाल पता काशीराम कालोनी थाना पारा जनपद लखनऊ।
3. सिराजुद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन निवासी म0नं0-834 काजीपुरा मोहल्ला निकट वसीरगंज पुलिस चौकी थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच, हाल पता काशीराम कालोनी थाना पारा जनपद लखनऊ।

- **शेष दो अभियुक्त फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।**

**06-बरामदगी –**

1. एक जोड़ी झुमका पीली धातु,
2. एक नथ पीली धातु,
3. नौ अदद लाकेट पीली धातु,
4. तीन अदद टप्स पीली धातु,
5. एक मंगलसूत्र लाकेट पीली धातु,
6. एक अंगूठी पीली धातु,
7. कुल 1500/- रुपये नगद।
8. एक अदद अपाचे मो0सा0 नं0- UP40BF9068

**07- अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-**

- **अभियुक्ता निलोफर उर्फ गिट्टा (गैंग लीडर ) के विरुद्ध कुल 12 मुकदमें दर्ज हैं-**

1. मु0अ0सं0-380/2018 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ ।
2. मु0अ0सं0-0196/2019 धारा 411 भादवि0 थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0-090/2020 धारा 427/504/506 भादवि0 थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0-022/2023 धारा 380/411 भादवि0 थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ।
5. मु0अ0सं0-506/2023धारा 380/411/457 भादवि0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ ।
6. मु0अ0सं0-525/2023 धारा 379/411 भादवि0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ ।
7. मु0अ0सं0-002/2024 धारा 379/411 भादवि0 थाना तालकटोरा जपनद लखनऊ ।
8. मु0अ0सं0-002/2024 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना सआदतगंज जनपद लखनऊ ।
9. मु0अ0सं0-003/2024 धारा 379/411 भादवि0 थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ ।
10. मु0अ0सं0-005/2024 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ ।
11. मु0अ0सं0-205/2024 धारा 305(ए) बीएनएस थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ ।
12. मु0अ0सं0-613/2024 धारा 331/305 भा0न्या0सं0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ।

**08-अनावरित अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0सं0-613/2024 धारा 331/305 भा0न्या0सं0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-205/2024 धारा 305(ए) बीएनएस थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ ।

**09-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- **थाना कृष्णानगर पुलिस तथा स्वाट/सर्विलांस टीम साउथ जोन कमिश्नरेट लखनऊ।**

## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं. 37**
**दिनांक-05.01.2025**

**जोन- उत्तरी / थाना-गुडम्बा**

- **01 शातिर वाहन चोर / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **01 अदद चोरी की मोटर साईकिल बरामद।**

**01-सक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 04.01.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर उनकी मोटर साइकिल बजाज बल्सर के चोरी हो जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित मु0अ0सं0 6/25 धारा 303(2) BNS दिनांक 04.01.2025 को पंजीकृत कराया गया।

आज दिनांक 05.01.2024 को थाना गुडम्बा के उ0नि0 श्री संजय गुप्ता मय हमराही पुलिस बल के दौराने चेकिंग पतारसी सुरागरसी के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धि मोटर साइकिल संख्या UP32PK1883 को अभियुक्त संदीप रावत पुत्र राम प्रसाद रावत निवासी छोटा पहाड़पुर सेक्टर जे जानकीपुरम थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र 25 वर्ष के कब्जे से बरामद किया गया। जिस पर अभियुक्त द्वारा कूटरचित नम्बर प्लेट UP32EV8266 लगाकर प्रयोग किया जा रहा था।

अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी व अपराध धारा 303(2)/317(2)/338/336(3)/340(2) BNS से अवगत कराते हुए दिनांक 05.01.2024 को बसेरा मोड़ के अंदर पिकनिक स्पाट मार्ग से हिरासत पुलिस में लिया गया जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**02-अपराध का तरीका-**

अभियुक्त द्वारा मोटर साइकिल चोरी करके उसको बेचने हेतु मोटर साइकिल की पहचान छिपाने के लिए कूटरचित नम्बर प्लेट बदलकर प्रयोग किया जाता है एंव आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से संज्ञेय अपराध कारित करता है।

**03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. संदीप रावत पुत्र राम प्रसाद रावत निवासी छोटा पहाड़पुर सेक्टर जे जानकीपुरम थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र 25 वर्ष (बेरोजगार)

**04-बरामदगी-**

- एक अदद चोरी की मोटर साइकिल बजाज पल्सर जिस पर कूटरचित नं0 UP32EV8266 का प्रयोग किया जा रहा था (वास्तविक नम्बर UP32PK1883)

**05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना गुडम्बाः-**

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार गुप्ता
2. हे0का0 धीरेन्द्र कुमार
3. का0 विकल्प कुमार
4. का0 रितेश सिंह

## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं. 35
दिनांक-05.01.2025

### जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- थाना गोमतीनगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का किया गया सफल अनावरण।
- घटना कारित करने वाले 04 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- चोरी किये गये 18 अदद बंडल एल्युमिनियम तार ( कीमत लगभग 05 लाख रुपये ) व
- घटना में प्रयुक्त गाड़ी UP32UN3593 लोडर रंग क्रीम बरामद।

**01-सक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 30.12.2024 को आगन्तुक/वादी श्री गौरव राय पुत्र श्री कृपाशंकर राय द्वारा उपस्थित थाना आकर एक किता प्रा0 पत्र बावत- वादी के आर0डी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रो मे केबल व नंगे तार को बदलकर नया केबल लगाने का कार्य हो रहा है जिसके स्टोर 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र विपिनखण्ड से प्रतिवादीगण द्वारा लगभग 8-10 टन तार के केबल जिसकी अनुमानित कीमत 14 -15 लाख रुपये करीब है, को एक लोडर के माध्यम से चोरी करने विषयक दाखिल किया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0स0 - 0643/2024 धारा 305(क) बीएनएस बनाम – अज्ञात चोर, पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री मो0 जसीम को सुपुर्द हुयी।

उक्त घटना का अनावरण करते हुये थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 05.01.2024 को सहारा पुल के नीचे गोमतीनगर से 04 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगणों के कब्जे से चोरी किये गये 18 अदद बंडल एल्युमिनियम तार व घटना में प्रयुक्त गाड़ी UP32UN3593 लोडर रंग क्रीम जिस पर नीले रंग से पोर्टर लिखा हुआ है, बरामद किये गये।

बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2) बी.एन.एस की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्तगणों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

**02-अपराध का तरीका-**

अभियुक्तगणों द्वारा एल्युमिनीयम के तार के बंडल को चोरी कर बेचने के उद्देश्य से पोर्टर के माध्यम से एक लोडर बुक कर रात्रि में सारा सामान लोड कर किसी को जानकारी न हो इसलिये लोडर में चुराये गये तारों के बंडल को लादकर लोडर चालक को यह बताया की आज सुबह कुछ खंबों में तार लगाये जाने है चाहे तो आप साथ में चलिये या कल आकर आफिस से भाडे सहित अपना लोडर ले जाना।

इस बात पर लोडर चालक द्वारा कल आकर अपना लोडर व भाडा लेने पर सहमति व्यक्त करते हुए चला गया। तत्पश्चात हम लोगों नें चुराये गये तारों के बंडलों को लोडर में लादकर सहारा ब्रिज के नीचे झाडियों में छिपा रखा था जिसे आज हम लोग बेचने के उद्देश्य से लोडर में बंडलों को लादकर लखनऊ से बाहर ले जा रहे थे कि तभी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

**03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—**

01. प्रखर द्विवेदी पुत्र प्रमोद कुमार द्विवेदी निवासी म0नं0 12/235 सेक्टर 12 इंद्रानगर थाना इंद्रानगर जनपद लखनऊ उम्र करिब 22 वर्ष (व्यवसाय- छात्र)
02. रोहित शर्मा पुत्र रुपेश चंद्र शर्मा निवासी- म0नं0 21/38 सेक्टर 21 इंद्रानगर थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ उम्र करिब 24 वर्ष (व्यवसाय- बिजली विभाग में संविदा पर नौकरी)
03. बबलू कुमार पुत्र स्व0 रामचंद्र निवासी ग्राम धरौरा पोस्ट पहाड़पुर अतरौला थाना महीगवा जनपद लखनऊ उम्र करिब 25 वर्ष (व्यवसाय- बिजली विभाग में संविदा पर नौकरी)
04. हर्षित कश्यप पुत्र सुनील कश्यप निवासी सकरौरा थाना कर्नलगंज जनपद गोंडा हाल पता म0नं0 1365/4 ए ब्लांक इंद्रानगर मीना मार्केट थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष (व्यवसाय- आरओ एक्वा गार्ड मे पार्ट टाइम जाब)

**04-बरामदगी:-**

- 18 अदद बंडल एल्युमिनियम तार (कीमत लगभग 05 लाख रुपये)
- घटना में प्रयुक्त गाडी UP32UN3593 लोडर रंग क्रीम जिस पर नीले रंग से पोर्टर लिखा हुआ है।

**05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना गोमतीनगर:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी
2. उ0नि0 श्री मो0 जसीम रजा
3. उ0नि0 श्री अनुज सिंह
4. उ0नि0 श्री राकेश कुमार वर्मा
5. का0 अकुंर चौधरी,
6. का0 आकाश यादव,
7. का0 अजय यादव
8. का0 राकेश कुमार सरोज

# कार्यालय साइबर क्राइम पुलिस थाना कमिश्नरेट लखनऊ

टीसी-33, वी-2 विभूतिखण्ड गौमतीनगर लखनऊ
ईमेल आईडी- ccpsstf.lu-up@gov.in
मो0नं0 7839876640

प्रेस नोट सं.41
दिनांक- 05.01.2025

- **फेक इन्स्टाग्राम आईडी बनाकर दुर्घटना में पीड़ित की मदद के नाम धन उगाही करने वाला अभियुक्त साइबर क्राइम थाना लखनऊ पुलिस द्वारा गिरफ्तार |**
- **05 दिवस के अंदर लखनऊ साइबर क्राइम थाना द्वारा किया गया घटना का सफल अनावरण।**

**संक्षिप्त विवरण-**

अवगत कराना है कि फेक इन्स्टाग्राम आईडी बनाकर दुर्घटना में पीड़ित की मदद के नाम धन उगाही करने के सम्बन्ध में दिनाँक 30.12.2024 को थाना स्थानीय पर अपराध संख्या- 217/2024 धारा 318(4), 319(2) BNS व 66D आईटी एक्ट पंजीकृत हुआ। साइबर क्राइम थाना लखनऊ प्रभारी के नेतृत्व में घटना के अनवारण हेतु टीम गठित की गयी।

उपरोक्त टीम द्वारा घटना के अनावरण हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए अंदर सप्ताह उक्त घटना को अंजाम देने वाले मुख्य साइबर अपराधी अमित कुमार को दिनांक 04-01-2025 को सहारनपुर से गिरफ्तार किया।

**अपराध करने का तरीका-**

साइबर अपराधी द्वारा वर्ष 2022 में फेक इन्स्टाग्राम आईडी बनायीं गयी थी। लोगो की फोटो ऑफिसियल ट्विटर हैंडल से डाउनलोड कर फेक इन्स्टाग्राम आईडी पर पोस्ट किया जाने लगा | जिसके उपरान्त उपरोक्त फेक इन्स्टाग्राम आईडी पर Followers की संख्या लगभग 67 हजार पहुँच गयी थी | साइबर अपराधी द्वारा उपरोक्त फेक इन्स्टाग्राम आईडी को वास्तविक दिखाने के लिए ब्लू टिक वेरीफाईड भी करवाया गया | अपराधी द्वारा एक फर्जी Youtube अकाउंट भी बनाया गया था। इन्स्टाग्राम पर Followers बढने के बाद जयपुर में हुयी दुर्घटना में पीड़ित की मदद के नाम धन उगाही हेतु जयपुर हादसे का विडियो चलाकर उसमे अपने बैंक खाते का QR कोड लगाकर लोगो से मदद के नाम पर रूपए ट्रान्सफर करने का आग्रह करते हुए पोस्ट किया गया था। जिसके बाद लोगो द्वारा उक्त QR कोड पर पेमेंट भी किया गया था |

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. अमित कुमार पुत्र ताराचंद निवासी ग्राम साधारण सीर, थाना नांगल, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश उम्र 43 वर्ष

**गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-**

- 01 अदद मोबाइल फ़ोन iPhone 13 Pro Max |

**गिरफ्तारी करने वाली टीम –**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार यादव, साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
2. निरीक्षक विनोद कुमार वर्मा, साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
3. उ0नि0 प्रशांत रघुवंशी साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
4. का0 संजय कुमार, साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
5. का0 धनीश यादव, साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
6. का0 वैभव प्रकाश नैन, साइबर क्राइम थाना लखनऊ।